बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं0 सं0–3/स्था0 विविध (क्षमता)–03/2015– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– /03/2016

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने हेतु बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत उपबंधित राशि में से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना द्वारा अधियाचित राशि रू0–5,07,478.00 (पाँच लाख सात हजार चार सौ अठहत्तर) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत विपत्र कोड–P2029000010103 विषय शीर्ष–2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत रू0–01.00 (एक) करोड़ का उपबंध प्राप्त है।

3. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना द्वारा उनके पत्रांक–बिपार्ड/सीपीए–06/2014/337, दिनांक–01.03.2016 द्वारा बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण हेतु कुल रू0–5,07,478.00 (पाँच लाख सात हजार चार सौ अठहत्तर) की अधियाचना की गयी है।

4. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना द्वारा अधियाचित राशि कुल रू0–5,07,478.00 (पाँच लाख सात हजार चार सौ अठहत्तर) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2029–भू–राजस्व उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष–0103 विभाग के मुख्यालय एवं कार्यालय का आधुनिकीकरण विपत्र कोड–P2029000010103 विषय शीर्ष–2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना द्वारा राशि उपयोगिता प्रमाण एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/स्था0 विविध (क्षमता)–03/2015– 127 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 17 /03/2016

ई–मेल

प्रतिलिपि :–सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना को उनके पत्रांक–बिपार्ड/सीपीए–06/2014/337, दिनांक–01.03.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3
(व्यास जी),
प्रधान सचिव